

:: न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राज.) ::

क्रमांक: ०४

दिनांक: ०६/०३/२५

:: आदेश ::

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक ०७ दिनांक ०१.०३.२०२४ में आंशिक परिवर्तन करते हुए दिनांक १७.०३.२०२४ रविवार के राजकीय अवकाश में श्री दिनेश कुमार शर्मा, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड़ की लगाई गई रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त कर उक्त दिनांक १७.०३.२०२४ के राजकीय अवकाश के दिन झालावाड़ न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अभिवृद्धि व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें धारा १६४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान एवं मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना व धारा १७६ (१क) के तहत मृत्यु समीक्षा जाँच करना शामिल है, को करने के लिए श्रीमती शिल्पी बंसल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. ०१ झालावाड़ को अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा पूर्व का मूल आदेश यथावत रहेगा।

— Ed —

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़।

क्रमांक: २१४

दिनांक: ०६/०३/२५

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

०१. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़
०२. श्री दिनेश शर्मा, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड़।
०३. श्रीमती शिल्पी बंसल, अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या ०१ झालावाड़।
०४. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
०५. प्रभारी अधिकारी वायर लैस केन्द्र झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
०६. आदेश/संबंधित पत्रावली।
०७. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड़ न्याय क्षेत्र की Website- jhalawar.dcourts.gov.in पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।

— Cf —
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़।